तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अंजलि चौधरी बनाम **लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाडा)** सू.अ. अपील संख्या 34/2024	

24/04/2024

अपीलार्थी अंजलि चौधरी निवासी 1ए/12, खनिज नगर, आदर्श नगर, बालूपुरा रोड़, अजमेर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2023 में बिलाडा तहसील की ग्राम पंचायत झाक के मुरकासनी गांव में बिलाडा रोड पर स्थित तेजाजी मंदिर एवं शिवजी मंदिर की जमाबंदी के समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाडा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार बिलाडा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार बिलाडा) ने जरिये पत्रांक 91 दिनांक 28.03.2024 द्वारा बतलाया कि प्रार्थी द्वारा तीन बिन्दुओं पर चाही गई सूचना में से दो बिन्दुओं पर सूचना तैयार कर मय संलग्नक एवं तीसरे बिन्दु की सूचना ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित होने से ग्राम विकास अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया। जिसकी सूचना प्रार्थी को जरिये पत्रांक तह.बि./विविध/आर.टी.आई./024/596 दिनांक 28.03.2024 द्वारा प्रेषित की गई।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है तथा चाही गई सूचना में से जो सूचना ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दी जानी है, उस हेतु सं[illegible]म विकास अधिकारी सूचना उपलब्ध कराने हेतु अवगत क[illegible] सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से [illegible]ल इस स्टेज पर [illegible] योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:45:58 IST
Reason: SelfAttested